दिनांक 17.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 23 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा जनपद सहारनपुर में आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया शुभारम्भ

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 17.10.2025 को जनपद सहारनपुर में आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन श्री भानु भास्कर, डीआईजी सहारनपुर परिक्षेत्र श्री अभिषेक सिंह, SSP सहारनपुर श्री आशीष तिवारी, SSP मुजफ्फरनगर श्री संजय वर्मा, SP शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, साइबर एक्सपर्ट श्री रक्षित टण्डन, सहारनपुर परिक्षेत्र के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण सहित विभिन्न स्कूल/कालेजों के लगभग 1000 (एक हजार) छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि आज सहारनपुर रेंज द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि डीजीपी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मेरे द्वारा 10 प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई थीं जिसमे साइबर क्राइम एक प्रमुख वर्टिकल था।

पुलिस महानिदेशक द्वारा लखनऊ में घटित दो साइबर-संबंधित घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि, "सोशल मीडिया, इंटरनेट व तकनीक जितनी उपयोगी है, उतनी ही असावधानी से यह विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। बच्चों व युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन जैसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि डिजिटल सतर्कता आज समाज की आवश्यकता बन चुकी है।"

पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया कि पारंपरिक अपराधों की तुलना में **साइबर अपराधों के माध्यम से होने वाली आर्थिक हानि लगभग 40 गुना अधिक** है। अतः उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए साइबर क्राइम अब अत्यंत **महत्वपूर्ण प्राथमिकता** बन चुका है तथा कहा कि पिछले चार महीनों में सभी **अपर पुलिस महानिदेशकों (जोन)** के नेतृत्व में प्रत्येक थाने पर स्थापित **साइबर हेल्प डेस्क** पर कार्यरत कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि यदि कोई साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति थाने पर आता है तो उसे यह उत्तर न दिया जाए कि "साइबर थाने पर जाइए", बल्कि **1930 हेल्पलाइन** पर उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जाए। यदि अपराध धन से संबंधित है तो **तत्काल उसकी धनराशि को फ्रीज कराया जाए,** और निर्धारित **गाइडलाइन्स** के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाए —

- यदि मामला थाने स्तर पर समाधान योग्य है तो तत्काल विवेचना की जाए,
- यदि धनराशि अधिक है या मामला **अंतर्राज्यीय (inter-state)** प्रकृति का है तो उसे **साइबर थाने** को अग्रसारित किया जाए।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सभी थाना प्रभारियों को साइबर अपराध की विवेचना में अपेक्षित स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह अवश्य कहा जा सकता है कि पिछले चार महीनों में **साइबर अपराध के प्रति जो हिचक थी, वह अब समाप्त हो गई है।** उन्होंने बताया कि **साइबर अपराध की जांच (Investigation)** पूर्णतः **SOP आधारित एवं व्यवस्थित (Straightforward)** है। यदि कोई अधिकारी इसे खुले मन से सीखना चाहे तो इसके छह–सात चरणों को समझकर यह पाया जा सकता है कि यह जांच **सामान्य आपराधिक विवेचना से भी अधिक सरल और त्वरित** है।

पुलिस महानिदेशक ने थाना प्रभारियों के लिए कहा कि यह अवधारणा त्यागनी होगी कि "साइबर अपराध की जांच हम नहीं कर सकते"। इसके लिए जोन स्तर पर प्रशिक्षित **साइबर वारियर्स** कार्यरत हैं, जिन्हें छह माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही अन्य साइबर विशेषज्ञ समय-समय पर **प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण (Orientation) एवं जागरूकता सत्र आयोजित** करते रहेंगे। यह भी कहा कि साइबर अपराध का दायरा और महत्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए पुलिस कर्मियों का आत्मविश्वास और कौशल जितना बढ़ेगा, उतना ही नागरिकों में भी **पुलिस के प्रति विश्वास एवं भरोसा** सुदृढ़ होगा।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि **जागरूकता, साइबर अपराध नियंत्रण का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग** है। कोई भी साइबर अपराध ऐसा नहीं होता जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित को डराकर या धमकाकर अपराध करे — यह प्रायः **लोभ, लापरवाही या जानकारी के अभाव** के कारण होता है। अतः समाज में **डिजिटल साक्षरता और जागरूकता** ही साइबर अपराध की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक किये जाने के लिए लगातार जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
DGP HQ
SSP SAHARANPUR
SAHARANPUR Cyber Cri...
THANA SARSAWA
kotwali nagar
SP SHAMLI
cyber cell shamli
co city shamli
om prakash singh
Pawan
babloo singh
Mohit Sehrawat
Rupali Roy
Thana Thanabhawan
Police Station Jhinjhana
PS SHAMLI
81 others
ADG MEERUT ZONE
10:54 AM | zpp-kohb-hyc

दिनांक 17.10.2025
प्रेस विज्ञप्ति 24/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन सुगर) की तस्करी करने वाला 01 व्यक्ति बहराईच से गिरफ्तार।

दिनॉकः 17–10–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग के 01 सदस्य को 3.440 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन सुगर) के साथ जनपद बहराईच से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– सोनू अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी मो0 कहारनटोला, थाना नानपारा, बहराइच।

बरामदगीः

1– 3.440 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन सुगर) (करीब 3.5 करोड़)

2– 02 अदद मोबाइल फोन

3– 01 अदद कार स्विफ्ट कार नं0 यूपी 32 एनपी 8415

4– रू0 750 नगद।

5– 01 इलेक्ट्रानिक तराजू।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक 17–10–2025 समय–07.00 बजे बरूआ मोड़ तिराहा, लखनऊ–नानपारा बाईपास, थाना कोतवाली देहात, बहराइच।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी, इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त निर्देश के क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 17–10–2025 को अभिसूचना संकलन के उद्‌देश्य से उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार तिवारी, मु0आ0 आलोक पाण्डेय, स्वरूप पाण्डेय, अमित सिंह, जितेन्द्र वर्मा, आरक्षी आदित्य पाल चालक राकेश मिश्र की टीम जनपद बहराईच में भ्रमणशील

थी। इस दौरान सूचना मिली कि 01 व्यक्ति स्विफ्ट कार द्वारा लखनऊ से अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन सुगर) लेकर बहराइच आने वाला है। उक्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्राविधानों के श्री पहुप सिंह क्षेत्राधिकारी सिटी, बहराईच को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुँच कर 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछतॉछ पर बताया कि लखनऊ के खदरा के बड़ी पकडिया निवासी बादाम नाम की महिला से खरीदकर बहराइच के विभिन्न स्थानो एवं नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में थोक में सप्लाई करता था। यह काम विगत 01 वर्षो से कर रहा है, जिसमें अब तक लगभग 100 किग्रा से ज्यादा ब्राउन सूगर की सप्लाई कर चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में मु0अ0सं0 433/2025 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना पुवायॉ

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16/17.10.2025 की रात्रि थाना पुवायॉ व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीपीएस स्कूल के समीप बने बाईपास पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त दानिश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना पुवायॉ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध मे थाना पुवायॉ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दानिश निवासी कमलनैनपुर थाना कॉट जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3–नगद रूपये।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अमरोहा/थाना हसनपुर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 60 हजार 120 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **02 तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 17.10.2025 को थाना हसनपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फूलपुर गढ़ी की पुलिया के पास से अभियुक्त 1–राजीव 2–सिकन्दर 3–जितेन्द्र 4–कैलाश उर्फ झल्लू को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 5–दिनेश 6–जगत 7–सौरभ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 60 हजार 120 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 02 तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हसनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजीव निवासी ग्राम झुण्डी खादर थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा।

2–सिकन्दर निवासी ग्राम झुण्डी खादर थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा।

3–जितेन्द्र निवासी ग्राम झुण्डी खादर थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा।

4–कैलाश उर्फ झल्लू निवासी ग्राम झुण्डी खादर थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा।

5–दिनेश निवासी बोनावाली डगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

6–जगत निवासी झुण्डी खादर थाना सैदनंगली जनपद अमरोहा।

7–सौरभ निवासी ग्राम डाकेवाली डगरौली थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लूटे गये 60 हजार 120 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–02 तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना पड़री

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **05 मोबाइल फोन**
- **1750/–रूपये नगद**
- **03 बुलेट मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 16.10.2025 को थाना पड़री, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–सुन्दरम् 2– अंकित

3–अभिषेक 4–आशीष 5–मिलन 6–यश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 05 मोबाइल फोन, 1750/–रूपये नगद, 03 बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना पड़री पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुन्दरम् निवासी तोषवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर।

2–अंकित निवासी लखमापुर थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

3–अभिषेक निवासी हर्दी सहिजनी थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।

4–आशीष निवासी सरैया सिकन्दरपुर (मडई) थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

5–मिलन निवासी दुर्गा बाजार थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर।

6–यश निवासी राजगढ़ थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–07 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3–05 मोबाइल फोन।

4–1750/–रूपये नगद।

5–03 बुलेट मोटर साइकिल।

➢ **जनपद अम्बेडकरनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 18 करोड़ 98 हजार 87 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस ने अभियुक्त अमित चन्द यादव पुत्र स्व0 श्रीराम यादव निवासी मछलीगॉव निवासी सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 18 करोड़ 98 हजार 87 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 30 लाख 19 हजार 500 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त अभिजीत शर्मा पुत्र कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी विकासनगर, लखनऊ मूलपता–तहसील गोरखपुर जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 30 लाख 19 हजार 500 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 76 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रकाश को आजीवन कारावास व 76 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना स्याना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना स्याना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त महेन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गया।

- **जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मछलीशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(1) भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————